स्वत्व वाद संख्या 156 / 2022
सीआईएस 156 / 2022
दिनांक 13.12.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 13.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी द्वारा अधिवक्ता आयुक्त की बहाली के संबंध में दिनांक 13.12.2023 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 7 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

वादी ने अपने आवेदन पत्र में कहा है कि विवादित जमीन को प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने दिनांक 16.11.2019 को बयनामा कर दखल दे दिया था। यह कि प्रतिवादी पक्ष की तैयारी विवादित जमीन से वादी को जबरन बेदखल करने की चल रही है और प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करवाने के लिए सह तकरारी आस पास निर्माण समाग्री एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया है यह कि न्यायालय से निवेदन हैं कि **विवादित जमीन का भौतिक स्वरूप क्या है तथा विवादित जमीन के आसपास कच्चा अथवा पक्का निर्माण सामग्री मौजूद है या नहीं** इस संबंध में जानकारी हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से अभी कोई जवाब अभिलेख पर नहीं है हालांकि आवेदन प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त है लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब अभिलेख पर नहीं है ।

मामले में वादी के आवेदन का अवलोकन किया। समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेख का अनुशीलन किया। मामले में वादी के आवेदन में वर्णित संपत्ति के वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए जैसा कि वादी का आरोप है कि प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति के स्वरूप में परिवर्तन करना चाहते हैं अतः न्यायहित में संपत्ति के भौतिक स्वरूप, विवादित जमीन के आसपास कच्चा या पक्का निर्माण सामग्री मौजूद है, को जानने के लिए दो हजार रुपये जो अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु फीस होगी वादी जमा करे। तत्पश्चात श्रीमती चेतना कुमारी विद्वान अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि विवादित स्थल पर पहुंच कर विवादित संपत्ति जो कि आदेश में वर्णित है के संबंध में वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन न्यायालय में शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।